



सर्वे
भवन्तु सुखिनः

मानव अधिकार: नई दिशाएं

अंक: 22 (वर्ष 2025)



राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
भारत



पलायन, प्रवासन और मानव अधिकार: न्यायसंगत भविष्य का निर्माण

संदीप चचरा*

पलायन हमेशा से भारतीय सभ्यता के अनुभव का हिस्सा रहा है। यह प्रवास, व्यापार, आजीविका और शरणार्थ की कहानी रही है। यह हम सब के साथ-साथ रहने की कहानी रही है। हमारे सभ्यतागत जातीय संस्कार और परम्पराएँ वसुधैव कुटुंबकम के मूल्य में निहित हैं और हमें हमारा संविधान समानता, गरिमा, सहिष्णुता और प्रवास जैसे अधिकार देता है और हमें याद दिलाता है कि प्रवास और बसने का अधिकार मानवीय गरिमा से अलग नहीं है। (भारत सरकार, 1950) इस धरती ने विभिन्न प्रकार के लोगों का स्वागत किया है। पारसियों, जिन्होंने भारत की दूध जैसी विविधता में मिठास घोली, यहूदी परिवार जिनका मालाबार तट में स्वागत हुआ से लेकर तिब्बती और तमिल शरणार्थी गरिमा के साथ अपनी ज़िंदगियों को पुनः गढ़ रहे हैं। भारत ने ऐतिहासिक रूप से शरणार्थियों को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक नैतिक ज़िम्मेदारी के रूप में स्वागत किया है। (पालसेटिया, 2001 और ऐक्शनएड, 2024)

विशेष रूप से, आंतरिक पलायन भी भारत के सामाजिक और साँस्कृतिक बुनावट का हिस्सा रहा है, जहाँ प्रवास को मानव महत्वाकांक्षा के एक प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है। इस महत्वाकांक्षा का एक हिस्सा महावाकांशाओं से प्रेरित है। दूसरा हिस्सा मजबूरी के कारण है। दोनों ही परिस्थितियों में यह कोई चुनौती नहीं है। यह एक चुनौती तब बन जाती है जब असमान विकास, जातिगत भेदभाव, जलवायु परिवर्तन या कार्य जगत में बड़े परिवर्तन सहित किसी भी तरह के संकट से संचालित होता है।

*कार्यकारी निदेशक, ऐक्शन एड एसोसिएशन



कार्य जगत में कायापलट

इस संदर्भ में भारत की श्रम अर्थव्यवस्था में नाटकीय बदलावों को समझना ज़रूरी हो जाता है। इक्कीसवीं सदी उल्लेखनीय अवस्थाओं से गुज़री है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक दक्षिण में मज़दूरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी अनौपचारिक और असंगठित रूप से काम कर रहा है, और विशेषरूप से हिंदुस्तान में तेज़ बदलाव देखा गया है। सन् 2004-05 और 2017-18 के बीच लगभग 6.34 करोड़ लोग, जिनमें से ज़्यादातर युवा थे, कृषि से बाहर हो गए जो देश के आर्थिक इतिहास में सबसे बड़े संरचनात्मक परिवर्तनों में से एक के रूप में चिह्नित किया गया (मेहरोत्रा, 2019)। यह रुझान अनेक कारकों से प्रेरित था, जिनमें निर्माण गतिविधि में वृद्धि, नियमित मजदूरी कार्य का कुछ विस्तार और माल एवं सेवा कर लागू होने के बाद औपचारिक उद्यमों का विकास शामिल है। फिर भी 2010 के अंत यह गति काफी धीमी हो गई। सन् 2017-18 से भारत में स्थितियां बदलीं; करीब 6.8 करोड़ लोग कृषि में वापस लौट आए हैं (मिंट, 2024)। कृषि कार्यबल 2019 के 41 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 44 प्रतिशत हो गया है। (विश्व बैंक समूह, 2025) महिलाओं ने इस परिवर्तन को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया है, इस अवधि के दौरान 6.66 करोड़ से अधिक महिलायें कृषि कार्य में शामिल हुईं। महिलायें अब कृषि कार्यबल का 64 प्रतिशत हिस्सा हैं, जो कृषि के स्त्रीकरण और गहराते संरचनात्मक बदलाव को दिखाता है, जब विनिर्माण और गैर-कृषि क्षेत्र बड़े पैमाने पर श्रमिकों को काम दे पाने में असफल रहे हैं।

यह बदलाव ऐसी अर्थव्यवस्था में हुआ है, जहाँ अभी भी अनौपचारिकता का बोलबाला है। ज़्यादातर श्रमिकों के पास लिखित अनुबंध, नौकरी की सुरक्षा या सामाजिक संरक्षण की कमी है। परिवार मज़दूरी, लघु उत्पादन, कृषि श्रम, व्यापार और अवैतनिक देखभाल को एक साथ मिलाकर जटिल जीवन रक्षा रणनीतियों का निर्माण करते हैं, जिनका प्लूरी वर्कर्स (बहु-रोज़गार मज़दूर) अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णन किया जा सकता है।

पलायन की प्रवृत्तियाँ और वास्तविकताएं

प्रवास के पैटर्न भी इन परिवर्तनों को दिखाते हैं। पिछले दशक में अंतरराज्यीय प्रवास बढ़ा है जो अधिकांशतः चक्रीय है। हालाँकि राज्यीय के भीतर के प्रवासियों और जनपद के भीतर के प्रवासियों का हिस्सा सबसे बड़ा है। कई अनुमानों से पता चलता है कि यह संख्या 20 करोड़ से ज़्यादा है हालाँकि इसका कोई आधिकारिक आँकड़ा नहीं है। यदि राज्य के भीतर के प्रवासियों को शामिल कर लिया जाए जो 2020-21 की भारत की लगभग एक-तिहाई आबादी के बराबर है जिनको प्रवासियों के रूप में गिना जा सकता है।



भारत में प्रवास रिपोर्ट (पीएलएफएस 2020-21) ग्रामीण प्रवास 26.5 प्रतिशत को मिलाकर कुल प्रवास दर 28.9 प्रतिशत का आकलन करती है। केवल 10.8 प्रतिशत के आसपास प्रवासी रोजगार संबंधी कारणों से स्थानांतरित हुए, जो प्रवास की लैंगिक प्रकृति को प्रतिबिंबित करता है। (श्रम मंत्रालय, 2023).

अधिकांश प्रवासी श्रमिक श्रम-प्रधान अनौपचारिक क्षेत्रों, जैसे निर्माण, ईंट-भत्ते, पत्थर खदान, घरेलू काम, स्ट्रीट वेंडिंग, लॉजिस्टिक्स और लघु विनिर्माण से जुड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों की पहचान अनियमित रोजगार अभ्यासों, बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुँच और बड़े पैमाने पर भुगतान संबंधी उल्लंघन के रूप में की जाती है। भर्ती अक्सर ठेकेदारों, बिचौलियों, जाति और रिश्तेदारी नेटवर्क या मजदूर “अड्डों” के ज़रिए होती है, जिनमें कई बंधुआ मजदूरी सहित शोषणकारी रियाज़तों से जुड़े होते हैं। प्रवासी मजदूरों को नियमित रूप से लंबे समय तक काम करने, असुरक्षित वातावरण, खराब आवास, न्यूनतम मजदूरी से वंचित रहने और शिकायत निवारण या न्याय व्यवस्था तक बेहद सीमित पहुँच का सामना करना पड़ता है। उनका प्रवास और अस्थाई निवास उन्हें कल्याणकारी योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित रखते हैं। वे अक्सर उन गंतव्य शहरों में सामाजिक रूप से अदृश्य और प्रशासन द्वारा अपरिचित रह जाते हैं जो उनके श्रम पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं लेकिन उनके अधिकारों को शायद ही कभी मान्यता देते हैं।

महिलाओं के लिए प्रवासन का अनुभव और भी कठोर होता है। प्रवासन के निर्णय अक्सर पुरुषों द्वारा लिए जाते हैं। महिलाओं के पास बहुत कम अधिकार बचते हैं। जब महिलायें पीछे रह जाती हैं तो उन्हें कृषि श्रम, घरेलू जिम्मेदारियों के साथ बड़े स्तर पर अवैतनिक देखभाल का कार्य करना पड़ता है। जब वे प्रवास करती हैं तो उन्हें अक्सर अनौपचारिक कार्यबल में अपरिचित सहकर्मियों के रूप में शामिल कर लिया जाता है जहाँ उनके श्रम या अधिकारों को बहुत कम मान्यता मिलती है। उन्हें असुरक्षित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, बच्चों की देखभाल और स्वास्थ्य सेवा का अभाव होता है, और नियोक्ताओं, ठेकेदारों और सहकर्मियों द्वारा यौन उत्पीड़न के जोखिम का सामना करना पड़ता है। हालाँकि इन चुनौतियों के बावजूद श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। पिछले दो दशकों में, यह दर लगभग दोगुनी होकर अब 41.7 प्रतिशत हो गई है। चाहे आर्थिक आवश्यकता हो या आकांक्षाएँ, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ रही है। इस वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक चेतना और सामूहिक मुखरता भी बढ़ रही है, जिससे श्रम अर्थव्यवस्था के भीतर महिलाओं की एजेंसी को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर पैदा हो रहा है।



हालाँकि, काम की सहज और गतिशील प्रकृति ने सामूहिक संगठन के पारंपरिक रूपों को कमजोर कर दिया है। हालाँकि ट्रेड यूनियनों इस दिशा में काम कर रही हैं फिर भी उन्हें चक्रीय प्रवासियों, अनौपचारिक कामगारों और अनिश्चित या घर-आधारित व्यवसायों में लगी महिलाओं को संगठित करने में कठिनाई हो रही है। प्रवासियों को अक्सर गंतव्य शहरों में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जो "भूमिपुत्रों" की भावनाओं और पहचान-आधारित राजनीति से प्रेरित होती हैं। इससे सामाजिक बहिष्कार गहराता है और प्रवासियों को अपनी पहचान दबाने के लिए मजबूर होना पड़ता है या भेदभाव से बचने के लिए अदृश्य होना पड़ता है।

कोविड-19 महामारी ने भारत के प्रवासी श्रमिकों की अनिश्चितता को नाटकीय रूप से उजागर कर दिया है। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर घर लौटने वाले श्रमिकों की तस्वीरें राष्ट्रीय चेतना में दर्ज रहेंगी। इस संकट ने अनौपचारिक और प्रवासी श्रमिकों की कमजोरियों की ओर अभूतपूर्व ध्यान आकर्षित किया और सुगम आवागमन तथा सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से कई नीतिगत पहलों को गति दी है। पहली बार, सार्वजनिक और नीतिगत सोच में एक स्पष्ट बदलाव आया: प्रवास को एक अपवाद नहीं, बल्कि भारत की श्रम अर्थव्यवस्था की एक संरचनात्मक विशेषता के रूप में स्वीकार किया गया। कल्याणकारी योजनाएँ निवास-आधारित प्रणालियों से आगे बढ़कर अधिक सुगम प्रारूपों की ओर बढ़ने लगीं। फिर भी इन बदलावों के बावजूद नीतिगत डिज़ाइन और ज़िंदा यथार्थ के बीच की दूरी अभी भी महत्वपूर्ण बनी हुई है।

नीति परिदृश्य: उन्नति और सतत अंतराल

हालिया नीतिगत विकास वादा और अंतराल, दोनों को दिखाते हैं। 29 श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समाहित करना एक बड़ा सुधार है, जिसमें अनौपचारिक और गिग श्रमिकों को शामिल करते हुए श्रमिकों की विस्तृत परिभाषा दी गई है। इससे उन श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नीतिगत ढाँचा तैयार होता है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से वंचित रखा गया है। हालाँकि, प्रभावी कार्यान्वयन अनिश्चित बना हुआ है। प्रवर्तन तंत्र कमजोर हैं, निरीक्षण प्रणालियाँ संसाधनों से वंचित हैं, और अंतर-राज्यीय तथा चक्रीय प्रवासियों के संबंध में प्रशासनिक स्पष्टता का अभाव है। मजबूत कार्यान्वयन के बिना, संहिताओं के केवल प्रतीकात्मक ही रह जाने का खतरा है।

महामारी के दौरान जारी अनौपचारिक श्रमिकों के अधिकारों पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की परामर्शी ने एक मजबूत अधिकार-आधारित ढाँचा पेश किया। (एनएचआरसी, 2020) गैर-भेदभाव, सुगमता, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच, बेदखली से सुरक्षा और सुरक्षित परिवहन पर इसका ज़ोर समयोचित था और आज भी प्रासंगिक है।



इसी प्रकार, ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने और पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा को सक्षम बनाने की दिशा में एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। हालाँकि ई-श्रम से जुड़े लाभ अभी भी सीमित हैं और डिजिटल बाधाएँ अभी भी बनी हुई हैं, फिर भी यह पोर्टल सार्वभौमिक, चलायमान सामाजिक सुरक्षा की नींव रखता है। अन्य महत्वपूर्ण ढाँचे भी प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों को आकार देते हैं। बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना महत्वपूर्ण बनी हुई है, खासकर इसलिए क्योंकि प्रवासी श्रमिक ईट भट्टों, खदानों, निर्माण और घरेलू कामों में बंधुआ मजदूरी के प्रति अनुपातहीन रूप से असुरक्षित हैं। महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के लिए इस योजना में बढ़ा हुआ मुआवज़ा, अंतर्विषयक कमज़ोरियों को स्वीकार करता है, लेकिन राज्यों के बीच अधिक सक्रिय पहचान और मज़बूत समन्वय की आवश्यकता है। लैंगिक रूप से संवेदनशील श्रम प्रशासन, विशेष रूप से POSH अधिनियम के तहत स्थानीय शिकायत समितियों जैसे तंत्रों का क्रियान्वयन अभी भी आवश्यक बना हुआ है। हालाँकि कानून मज़बूत है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कमियाँ—जैसे जागरूकता की कमी, प्रशिक्षण का अभाव और निष्क्रिय समितियाँ—प्रवासी महिलाओं की सुरक्षा को लगातार कमज़ोर कर रही हैं। उनके लिए, कार्यात्मक एलसीसी कोई वैकल्पिक अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि एक बुनियादी ज़रूरत है।

शहरी आजीविका कार्यक्रमों ने भी शहरी अर्थव्यवस्था में प्रवासियों की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। पीएम-स्वनिधि ने प्रवासी रेहड़ी-पटरी वालों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाई है, लेकिन केवल कर्ज देना ही पर्याप्त नहीं है। उत्पीड़न, जबरन हटाए जाना, तय वेंडिंग ज़ोन की कमी, और शहरी योजनाओं से बाहर रखा जाना—ये सभी संरचनात्मक समस्याएँ हैं जिन्हें केवल ऋण से हल नहीं किया जा सकता। शहरी रोज़गार गारंटी के साथ प्रयोग कर रहे राज्य बढ़ती शहरी अनिश्चितता को देखते हुए कदम उठा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास अभी भी छोटे पैमाने पर हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और आयुष्मान भारत जैसे व्यापक कल्याणकारी उपायों ने खाद्य और स्वास्थ्य सेवा की सुगमता में सुधार किया है, फिर भी डिजिटल से दूरी, आधार कार्ड संबंधी त्रुटियाँ, नौकरशाही बाधाएँ और कम जागरूकता कई प्रवासियों को उनके अधिकारों तक पहुँचने से रोक देती हैं।

उभरती चुनौतियाँ: जलवायु, अनिश्चितता और प्रवासन

भारत में प्रवास को नये ढंग से बदलने वाला जलवायु परिवर्तन एक अन्य चुनौती के रूप में उभर रहा है। सूखा, बाढ़, चक्रवात, भीषण गर्मी (हीट वेव) और तटीय कटाव समुदायों को संकटग्रस्त प्रवास की ओर तेज़ी से धकेल रही हैं। इसके बावजूद,



जलवायु-प्रेरित प्रवासन नीतिगत ढाँचों में काफ़ी हद तक अदृश्य बना हुआ है। अनुकूलन उपाय शायद ही कभी संकटग्रस्त श्रमिकों तक पहुँच पाते हैं, और श्रम सुरक्षा अभी तक जलवायु-संबंधित विस्थापन की वास्तविकताओं को संबोधित नहीं करती है। भारत को श्रम प्रशासन में जलवायु न्याय को एकीकृत करना होगा। आने वाले वर्षों में जलवायु प्रवासियों को मान्यता देना, संकट ग्रस्त समुदायों के लिए समायोजन में निवेश करना और जलवायु-जनित आजीविका हानि के लिए सामाजिक सुरक्षा स्थापित करना महत्वपूर्ण होगा।

भविष्य की ओर देखते हुए, भारत को श्रमिकों के प्रवासन के लिए एक अधिक न्यायसंगत और व्यापक ढाँचा तैयार करना होगा। इसके लिए खंडित कल्याणकारी उपायों से हटकर सार्वभौमिक, सुगम सामाजिक सुरक्षा की एक मज़बूत व्यवस्था की आवश्यकता है जो विभिन्न राज्यों और व्यवसायों के श्रमिकों के साथ चलती हो। न्यूनतम मजदूरी, लिखित अनुबंध, श्रम ठेकेदारों का नियमन, मजदूरी की चोरी की रोकथाम, और मजबूत निरीक्षण एवं प्रवर्तन प्रणालियाँ केंद्रीय प्राथमिकताएँ बननी चाहिए। प्रवासियों के लिए आवास एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, इसलिए कम किराये की आवास योजनाओं, श्रमिक छात्रावासों और किफायती शहरी आवासों को मजबूत करना आवश्यक है। लिंग-संवेदनशील उपाय भी उतने ही ज़रूरी हैं। प्रवासी महिलाओं को कार्यस्थलों पर कार्यात्मक क्रेच, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन, सार्वभौमिक मातृत्व लाभ, निवास-आधारित बहिष्कार के बिना स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच और सभी कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए मज़बूत तंत्र की आवश्यकता है। POSH अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम और श्रम संहिताओं में लिंग-संबंधी प्रावधानों के कार्यान्वयन को स्पष्ट जवाबदेही तंत्र के साथ मजबूत किया जाना चाहिए।

प्रवासन को केवल जनसांख्यिकीय तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक मानवीय स्थिति के रूप में देखा जाना चाहिए जो सम्मान, अधिकार और समर्थन की मांग करती है।

निष्कर्ष

भारत के अनौपचारिक और प्रवासी कामगारों के अधिकारों और सम्मान को साकार करने के लिए, हमें टुकड़ों-टुकड़ों में किए जाने वाले उपायों से आगे बढ़कर सामाजिक सुरक्षा की एक वास्तविक व्यापक व्यवस्था को अपनाना होगा। हमारे कामगार खंडित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं या आंशिक वेतन सुरक्षा उपायों पर निर्भर नहीं रह सकते। वे एक ऐसी श्रम व्यवस्था के हकदार हैं जो सभी क्षेत्रों में न्यूनतम और समान वेतन की गारंटी दे, लिखित अनुबंधों और श्रम ठेकेदारों के कड़े नियमन के ज़रिए वेतन



भारत सरकार. (1950). कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया. भारत सरकार।

मेहरोत्रा, संतोष. (2019). इन्फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ट्रेड्स इन द इंडियन इकॉनमी: पर्सिस्टेंट इन्फॉर्मलिटी, बट गोज़िंग पॉज़िटिव डेवलपमेंट. एम्प्लॉयमेंट वर्किंग पेपर नं. 254, आईएलओ.

https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_empl/%40ifp_skills/documents/publication/wcms_734503.pdf

श्रम और रोजगार मंत्रालय. (2023)। माइग्रेशन ऑफ लेबर इन द कंट्री.

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1941077#:~:text=As%20per%20the%20Report%20Migration,and%20in%20rural%20was%2026.5%25.>

मिंट. (2024). व्हाइ द इंक्रीज़ इन फ़ार्म वर्कर पॉप्युलेशन इज़ अ वरी. (मिंट, 10 दिसंबर 2024).

<https://www.livemint.com/economy/farm-worker-population-agricultural-jobs-rural-jobs-rural-workers-rural-economy-rural-job-growth-unemployment-11733811795449.html>

एनएचआरसी. (2020). एडवाइज़री: ह्यूमन राइट्स ऑफ इन्फॉर्मल वर्कर्स इयूरिंग कोविड-19.

https://nhrc.nic.in/assets/uploads/covid1/1721805688_436941f7370965eba4a7.pdf

पालसेटिया, जे. एस. (2001). द पारसीज़ ऑफ इंडिया: प्रिज़र्वेशन ऑफ आइडेंटिटी इन बॉम्बे सिटी (वॉल्यूम 17). ब्रिल.

वर्ल्ड बैंक ग्रुप. (2025). एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर (% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट) (मॉडेलड आईएलओ एस्टीमेट) इंडिया.

<https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=IN>